"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261-D] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2011—भाद्र 16, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 08 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 17, 1933)

क्रमांक-10687/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) जो दिनांक 08 सितम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

अनुक्रमणिका

धारायें

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना.
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कार्य.
6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
8. कुलाधिपति एवं उसकी शक्तियां.
9. कुलपति.
10. प्रथम कुलपति की नियुक्ति एवं पदावधि.
11. कुलपति का वेतन एवं अन्य भत्ते.
12. कुलपति की शक्तियां एवं कर्त्तव्य.
13. कुलसचिव (रजिस्ट्रार) की नियुक्ति, कर्त्तव्य एवं पदावधि.
14. प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति.
15. वित्त अधिकारी.
16. महाविद्यालय का अधिष्ठाता.
17. संकाय का अधिष्ठाता
18. संकाय अधिष्ठाता का कर्त्तव्य.
19. संचालक.
20. छात्र-कल्याण अधिष्ठाता.

अध्याय-चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
22. कार्य परिषद्.
23. कार्य परिषद् की शक्तियां.
24. कार्य परिषद् की बैठक.
25. विद्या परिषद्.
26. विद्या परिषद् का गठन.
27. विद्या परिषद् की शक्तियां एवं कार्य.
28. संकाय.
29. अध्ययन बोर्ड.
30. वित्त समिति.
31. अन्य प्राधिकारियों का गठन.

अध्याय-पांच
निधि एवं लेखा

32. विश्वविद्यालय निधि.
33. अन्य निधि.
34. निधियों का प्रबंधन.
35. अनुदान.
36. उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय की निधि का उपयोग किया जा सकता है.
37. वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा (ऑडिट).

अध्याय-छः
सेवा की शर्तें

38. पेन्शन, उपदान आदि.
39. सेवा की शर्तें.

अध्याय-सात
परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम

40. परिनियम.
41. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.
42. अध्यादेश.
43. अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.
44. विनियम.

अध्याय-आठ
महाविद्यालयों एवं संस्थानों, कर्मचारियों एवं निधियों का अन्तरण

45. विश्वविद्यालय को कतिपय महाविद्यालयों एवं संस्थानों का अन्तरण.
46. प्रवेश एवं उपाधियां प्रदान करने के लिए विशेष उपबंध.

47. कतिपय कर्मचारियों की सेवा का अन्तरण.
48. भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य निधियां.
49. निधि का अन्तरण.

अध्याय-नौ

राज्य शासन की आपातकालीन शक्तियां

50. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.
51. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.

अध्याय-दस

प्रकीर्ण

52. निरीक्षण एवं जांच.
53. वार्षिक रिपोर्ट.
54. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं निकायों के साथ गठन संबंधी विवाद.
55. सदस्यता के लिये निरर्हता.
56. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.
57. सदस्यता से हटाया जाना.
58. समितियों का गठन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन.
59. कार्यवाहियों का रिक्ति के कारण अविधिमान्य न होना.
60. प्राधिकारियों का लोक सेवक होना.
61. कठिनाईयों का निराकरण.
62. व्यावृत्ति.

अनुसूची

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ राज्य में पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य एवं दुग्ध विज्ञान के विकास हेतु तथा उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) (एक) इसका विस्तार अनुसूची में सम्मिलित सभी महाविद्यालयों पर होगा.

(दो) इसका विस्तार इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा पोषित सभी महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर होगा.

(4) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—

(एक) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ;

(दो) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011;

(तीन) "नियत दिनांक" से अभिप्रेत है, धारा ' की उप-धारा (4) के अंतर्गत नियत दिनांक;

(चार) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियों के लिये पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान का अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा विस्तार-शिक्षण के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संचालित या सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था;

(पांच) "घटक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, कार्य परिषद् द्वारा घटक महाविद्यालय के रूप में घोषित महाविद्यालय;

(छः) "दुग्धविज्ञान" से अभिप्रेत है, दुग्ध प्रसंस्करण विज्ञान या दुग्ध-उत्पादों का उत्पादन एवं उसका विपणन;

(सात) "संचालक" से अभिप्रेत है, कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले अनुसंधान संचालक, विस्तार शिक्षा संचालक, प्रक्षेत्रों का संचालक, शिक्षण का संचालक, चिकित्सालय (क्लीनिकल) एवं अन्य संचालक;

(आठ) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है, धारा 22 के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(नौ) "विस्तार-शिक्षा" से अभिप्रेत है, पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान से संबंधित कृषक प्रशिक्षण, गौ शालाओं, गौ सेवकों एवं अन्य समूहों से तथा कामधेनु उत्पादन एवं विपणन से संबंधित विभिन्न स्तरीय वैज्ञानिक तकनीक से जुड़े शैक्षणिक कार्यकलाप और इसमें सम्मिलित है, संबंधित शासकीय विभागों के माध्यम से नई तकनीक के प्रदर्शन तथा कृषि प्रक्षेत्रों, गौ शालाओं एवं घरों में किये जाने वाले प्रवर्तन;

(दस) "संकाय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का संकाय;

(ग्यारह) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन;

(बारह) "छात्रावास" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये संपोषित अथवा मान्यता प्राप्त आवासीय इकाई;

(तेरह) "कामधेनु" से अभिप्रेत है, डीलयुक्त (हम्प) गोवंश सहित गोवंश की सभी देशी नस्लें एवं उनकी प्रजातियां तथा इसमें सम्मिलित हैं, कामधेनु शल्यक्रिया एवं औषधियां;

(चौदह) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के अध्यादेश;

(पंद्रह) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. डी-4226/479/202 दिनांक 16 अगस्त 2002 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग;

(सोलह) "पंचगव्य" से अभिप्रेत है, कामधेनु का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही एवं घृत;

(सत्रह) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित;

(अट्ठारह) "विनियम" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विनियम;

(उन्नीस) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(बीस) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(इक्कीस) "परिनियम" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के परिनियम;

(बाईस) "विश्वविद्यालय के विद्यार्थी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो उपाधि, पत्रोपाधि अथवा अन्य शैक्षिक प्रशस्तियों के लिये पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु सम्यक् रूप से संस्थापित विश्वविद्यालय अथवा उसके महाविद्यालयों में प्रविष्ट हो;

(तेईस) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से अभिप्रेत है, शिक्षा प्रदान करने एवं/या अनुसंधान करने एवं अनुसंधान का मार्गदर्शन करने एवं/या विस्तार कार्यक्रमों के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा मान्यता प्राप्त व्यक्ति एवं इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक घोषित किया जाये;

(चौबीस) "पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान" से अभिप्रेत है, पशु चिकित्सा, पशुविज्ञान एवं पशुपालन की सभी विधाएं, जिसमें कामधेनु विज्ञान, मुर्गीपालन एवं उससे सम्बद्ध विज्ञान, मत्स्यपालन, दुग्ध

विज्ञान एवं पशुधन खाद्य तकनीकी, पंचगव्य विज्ञान, पशुजगत विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वन्य प्राणी, रेशमी कीड़े, मधुमक्खी आदि के विज्ञान का समावेश है और इसमें सम्मिलित हैं, प्राकृतिक संसाधन-प्रबंध, उत्पादन तथा संरक्षण, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशुधन से संबंधित तकनीकी, पशु व्यापार-प्रबंध, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन-विज्ञान से संबंधित आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी तथा कोई अन्य विषय जो पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान से संबंधित समझे जायें;

(पच्चीस) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अंतर्गत स्थापित छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय.

अध्याय-दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना.

3. (1) "छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा.

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा एवं उसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वाद प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायेगा.

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उस स्थान पर होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किया जाएगा.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में प्रतिभासम्पन्न मानव संसाधन की शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करना;

(दो) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान में ज्ञानवर्धन एवं अनुसंधान में प्रगति को प्रोत्साहित करना;

(तीन) पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान में विस्तार-शिक्षा का जिम्मा लेना;

(चार) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संबंधों एवं भागीदारियों को प्रोत्साहित करना;

(पांच) छत्तीसगढ़ शासन या केन्द्र शासन द्वारा शासित विभाग एवं संगठन जो राज्य में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो, उनके साथ जीवन्त सहलग्नता स्थापित करना एवं सहयोग करना;

(छः) नवीनतम तकनीकी के साथ बने रहने की दृष्टि से पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग बनाना;

(सात) मैदानी तकनीकी कार्मिकों के व्यावसायिक विकास एवं कौशल्य उन्नयन के लिये प्रबोधनात्मक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम चलाना एवं ग्रीष्मकालीन संस्थाएं गठित करना, तकनीकी संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित करना तथा सतत् शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करना;

(आठ) अन्य व्यावसायिक अध्ययनों को संपोषण देने की दृष्टि से बुनियादी विज्ञान के अध्ययन का प्रावधान करना एवं इस प्रकार के अध्ययन विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना;

(नौ) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर लिये जाने वाले निर्णयों के अनुरूप उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले निश्चयों के अनुरूप अन्य उद्देश्यों की व्यवस्था करना.

विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कार्य.

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(एक) स्ववित्त रीति सहित पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का प्रावधान करना;

(दो) विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान के निष्कर्षों एवं तकनीकी जानकारियों को प्रसारित करने हेतु प्रावधान करना;

(तीन) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान में उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां संस्थापित करना;

(चार) जिन व्यक्तियों ने अन्य किसी विश्वविद्यालय अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं में संक्षिप्त पाठ्यक्रम या अनुसंधान या दोनों सहित विश्वविद्यालय में निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान अथवा दोनों का अनुशीलन कर अर्हता अर्जित की हो, उनके लिये अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थापित करना तथा परीक्षाएं आयोजित करना एवं उन्हें तदनुसार उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान करना;

(पांच) ऐसी मानद उपाधियां एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान करना जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये;

(छः) मैदानी कार्यकर्ताओं, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिये, जो विश्वविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं, व्याख्यान, प्रशिक्षण एवं शिक्षण का प्रावधान करना;

(सात) शैक्षिक अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में अन्य विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, सार्वजनिक या निजी अनुसंधान एवं विकास संगठनों या संस्थाओं के साथ सहयोग करना;

(आठ) महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र, विज्ञान केन्द्र एवं पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञानों एवं अन्य सम्बद्ध सेक्टरों से सम्बन्धित अन्य संस्थाएं स्थापित करना, चलाना एवं संपोषित करना;

(नौ) महाविद्यालयों, संस्थाओं या इकाइयों को विश्वविद्यालय से संलग्नित करना एवं महाविद्यालयों, संस्थाओं एवं इकाइयों की संलग्नता वापस लेना;

(दस) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के लिये प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं संग्रहालयों की स्थापना करना एवं उनका संपोषण करना;

(ग्यारह) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के पद संस्थापित करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(बारह) प्रशासनिक एवं अन्य पद निर्माण करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(तेरह) परिनियमों के अनुरूप अवार्ड प्रशस्तियां, शोधवृतियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनिया एवं पुरस्कार (मेडल एवं प्राइज) संस्थापित करना;

(चौदह) छात्रावास स्थापित एवं संधारित करना जो छात्रावास विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित न हों, उन्हें मान्यता देना एवं दी गई मान्यता वापस लेना;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये आवासों का निर्माण एवं उनका रख-रखाव करना;

(सोलह) ऐसे शुल्क एवं अन्य प्रभार तय करना एवं उनकी मांग करना एवं उन्हें प्राप्त करना जैसा कि विहित किया जाये;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास, आचरण एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना एवं उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रबंध करना;

(अट्ठारह) छत्तीसगढ़ राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों के संदर्भ में पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान में अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के लिये विशेष प्रावधान करना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के लाभ के लिये सूचना ब्यूरो एवं रोजगार केन्द्र स्थापित करना एवं प्रबंध करना;

(बीस) भारत सरकार एवं राज्य शासन के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(इक्कीस) महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं स्वीकृति प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करना एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित स्तरों का पालन हो एवं उनमें पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के पर्याप्त प्रावधान किये गये हों;

(बाईस) राज्य शासन की स्वीकृति से विश्वविद्यालय के अध्यापकीय, अन्य शैक्षिक एवं गैर अध्यापकीय स्टॉफ के वेतनमानों एवं भत्तों एवं सेवा के सदस्यों के अन्य शर्तों को तय करना एवं उनका नियमन करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्र संघों, अध्यापकों, शैक्षिक स्टॉफ एवं अन्य कर्मचारियों के संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रावधान करना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अनुदान, वसीयती जमा या अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय में सन्निहित होने वाले दानों एवं निधियों के लिये न्यास एवं धर्मादा धारण करना एवं उनका प्रबंध करना एवं इस प्रकार धर्मादा, दानों एवं निधियों का ऐसी रीति में, जो कि विश्वविद्यालय उचित समझे, निवेश करना:

परन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन के बिना किसी विदेशी देश, उस देश के विदेशी प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति से कोई दान स्वीकार नहीं किया जायेगा;

(पच्चीस) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या भारतीय समाज विज्ञान संस्था परिषद् जैसी निधिकरण संस्थाओं से अथवा भारत सरकार एवं राज्य शासन के किसी अन्य विभाग अथवा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के अनुदान प्राप्त करना;

(छब्बीस) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे प्रयोजनों के लिये केन्द्र सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा अन्य निगमित निकायों से प्रतिभूतियुक्त अथवा प्रतिभूतिरहित ऋण लेना जैसा कि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किया जाये;

(सत्ताईस) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के लिये चिकित्सालय, रोगनिदान केन्द्र स्थापित करना;

(अट्ठाईस) ऐसे सभी कार्य करना चाहे वह पूर्वोक्त शक्तियों और कार्यों के आनुषंगिक हो, या न हो, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय हों.

विश्वविद्यालय में प्रवेश.

6. इस अधिनियम एवं उसके परिनियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय, जाति, वंश, धर्म, संप्रदाय एवं लिंग के भेदभाव के बिना, सभी व्यक्तियों के लिये खुला रहेगा.

अध्याय-तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

7. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी समाविष्ट होंगे, अर्थात्—
(एक) कुलाधिपति;
(दो) कुलपति;
(तीन) कुलसचिव;
(चार) वित्त अधिकारी;
(पांच) महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/संकायों के अधिष्ठाता;
(छः) संचालक; एवं
(सात) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाएं.

कुलाधिपति एवं उसकी शक्तियां.

8. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे.

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा एवं जब वह उपस्थित रहेगा, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा एवं उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां उन व्यक्तियों को प्रदान करेगा जो उन्हें ग्रहण करने के लिये पात्र होंगे.

(3) जहां कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, वहां कुलाधिपति उन हितों का, जिनका सम्यक् तौर पर अन्यथा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, प्रतिनिधित्व कराने के लिये, आवश्यक सीमा तक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेंगे.

(4) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से या आवेदन किये जाने पर, किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के किसी कार्यवाही के अभिलेख को, उसमें लिये गए निर्णय या दिये गए आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में, ऐसी किसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है, और उसकी परीक्षा कर सकता है; तथा यदि किसी मामले में कुलाधिपति को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा कोई निर्णय या आदेश उपान्तरित या निरस्त करना, उलटना या पुनर्विचार हेतु प्रतिप्रेषित करना चाहिए, तो तदनुसार वह आदेश पारित कर सकता है:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग हेतु प्रत्येक आवेदन कुलाधिपति को उस तिथि से तीन माह के भीतर निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर आवेदन से संबंधित कार्यवाही, निर्णय अथवा आदेश आवदेक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह भी कि किसी व्यक्ति के लिये अहितकर आदेश, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया जाये.

(5) कुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियां प्रयुक्त करेंगे एवं ऐसे अन्य कार्यों का निवर्हन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदान किये जाएं या उन पर अधिरोपित किये जाएं.

कुलपति.

9. (1) कुलपति की प्रत्येक नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समिति द्वारा यथा अनुशंसित, प्रख्यात व्यक्तियों के तीन नामों के पैनल में से की जाएगी जो पशु चिकित्सा विज्ञान एवं सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, साथ ही जिन्हें न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा विश्वविद्यालयीन प्रशासनिक अनुभव हो एवं ऐसे पैनल में उक्त समिति के किसी सदस्य का नाम अंतर्विष्ट नहीं होगा:

परन्तु ऐसे व्यक्ति जो पशु चिकित्सा विज्ञान एवं सम्बद्ध विज्ञान में वाचस्पति (डाक्टरेट) उपाधि धारक हैं साथ ही जिन्हें न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा विश्व-विद्यालयीन प्रशासनिक अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जायेगी.

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिये, समिति में तीन सदस्य समाविष्ट होंगे, जिनमें से एक कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा एवं एक राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट एवं एक कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु, इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों में, विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी अथवा उसके प्राधिकरण का कोई सदस्य या कोई ठेकेदार अथवा सेवा प्रदायकर्ता नहीं होगा.

(3) कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगा एवं दूसरी कालावधि के लिए पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, कोई व्यक्ति, जो पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, कुलपति का पद धारण नहीं करेगा:

परन्तु यह भी कि :—

(क) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकता है कि कुलपति, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह ऐसी कालावधि के लिये जो छ: माह की कुल कालावधि से अधिक न हो, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाये, पद में बना रहेगा.

(ख) कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र के द्वारा कुलपति अपना पदत्याग कर सकता है.

(4) यदि किसी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझे यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति ने :—

(क) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत उसे सौंपे गए किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है, अथवा

(ख) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति में कार्य किया है, अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रबंधन में असमर्थ होने पर, कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी, कि कुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित में आदेश द्वारा, उसमें कारणों को दर्शाते हुए, ऐसे दिनांक से जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, कुलपति से अपने पदत्याग के लिये अपेक्षा कर सकेगा.

(5) उप-धारा (4) के अंतर्गत तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रस्तावित कार्यवाही के विशिष्ट कारणों से कुलपति को अवगत न कराया जाए एवं प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उसे युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(6) जब कुलपति का पद अस्थाई रूप में रिक्त हो अथवा कुलपति अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित हो अथवा किन्हीं अन्य कारणों से अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने एवं अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो तो, कुलाधिपति, यथासंभव शीघ्र, शासन के परामर्श पर कुलपति के कार्यों को जारी रखने की ऐसी व्यवस्था करेगा. जैसा कि वह उचित समझे.

प्रथम कुलपति की नियुक्ति एवं पदावधि.

10. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के छ: माह के भीतर, कुलाधिपति द्वारा, शासन से परामर्श कर प्रथम कुलपति की नियुक्ति, ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अधिक न हो या 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये की जायेगी एवं ऐसे वेतन एवं ऐसे अन्य निबंधन एवं शर्तों पर होगी, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे :

परंतु, इस प्रकार नियुक्त कुलपति, दूसरी कालावधि के लिए पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा.

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर या शासन, अधिसूचना के माध्यम से जैसा कि अनुज्ञात करे, अधिकतम डेढ़ वर्ष से अनधिक कालावधि के भीतर, धारा 21 में विनिर्दिष्ट कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं ऐसे अन्य प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्थाएं करने का दायित्व प्रथम कुलपति पर होगा.

(3) धारा 21 के अंतर्गत गठित प्राधिकरण, अपनी शक्तियां प्रयुक्त करना एवं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना, उस दिनांक या उन दिनांकों से प्रारंभ करेंगे जैसा कि शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(4) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि, कुलाधिपति के अनुमोदन से, वह आवश्यकतानुसार ऐसे विनियम, अध्यादेश एवं परिनियम बनाए एवं उन्हें अमल करने में सक्षम संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराए एवं ऐसे परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे.

(5) इस अधिनियम एवं परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई प्राधिकरण गठित होने तक प्रथम कुलपति ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त कर सकता है अथवा ऐसी कोई समिति गठित कर सकता है जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन अस्थाई रूप में कर सकेगी.

कुलपति का वेतन एवं अन्य भत्ते.

11. कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं उसकी परिलब्धियां और निबंधन एवं सेवा की अन्य शर्तें परिनियम द्वारा निर्धारित की जाएंगी.

कुलपति की शक्तियां एवं कर्त्तव्य.

12. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमुख एवं प्रधान कार्यपालक होगा तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा एवं उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां उन व्यक्तियों को प्रदान करेगा जो इन्हें प्राप्त करने के लिए पात्र हों एवं वह, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं वित्त समिति का सभापति (चेयरमेन) होगा एवं विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित रहने एवं उसे संबोधित करने का उसे अधिकार होगा किन्तु जब तक वह संबंधित प्राधिकरण का सदस्य न हो, मतदान करने का अधिकार नहीं होगा.

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखेगा एवं विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिये जिम्मेदार होगा.

(3) कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् की बैठक (सभाएं) बुलाएगा.

(4) कुलपति यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का पालन हो एवं वह इस प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.

(5) कुलपति को किसी भी मामले में कार्रवाई करने का अधिकार होगा और आदेश द्वारा ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे, किन्तु उसके बाद यथाशीघ्र उस अधिकारी अथवा प्राधिकरण अथवा निकाय जो उस मामले में सामान्य तौर पर निपटारा करता, को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा :

परन्तु, ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यक्ति जो इससे प्रभावित होने वाला हो, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो.

(6) उप-धारा (5) के अंतर्गत कुलपति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी तारीख; जिस पर उसे ऐसा आदेश संसूचित किया गया हो, से तीस दिनों के भीतर कार्य परिषद् के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और इस प्रकार की अपील पर कार्य परिषद् द्वारा जो आदेश पारित किया जायेगा, उसे कुलपति क्रियान्वित करेगा.

(7) अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तार-शिक्षा एवं पाठ्यक्रम विकास के बीच समन्वय एवं एकीकरण (तालमेल) के लिये कुलपति उत्तरदायी होगा.

(8) कुलपति ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विहित किये जाएं.

कुलसचिव (रजिस्ट्रार) की नियुक्ति, कर्तव्य एवं पदावधि.

13. (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एवं ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाये.

(2) ऐसा व्यक्ति कुलसचिव होगा जो राज्य शासन के अधीन सेवारत हो एवं जो राज्य शासन के उपसचिव के पद की श्रेणी से निम्न का न हो या राज्य के पशुधन या मत्स्य विभाग के एक अधिकारी जो विभाग के संयुक्त संचालक के वेतनमान के स्तर का अधिकारी हो.

(3) कुल सचिव, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं अध्ययन बोर्ड का पदेन सचिव होगा.

(4) कुलसचिव का पद अस्थाई रूप से तीन माह से अधिक समय के लिए रिक्त नहीं रहेगा अथवा कुलसचिव अस्वस्थता के कारणों से अनुपस्थिति हो अथवा अन्य कारणों से अपनी शक्तियां प्रयुक्त करने एवं अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करने में एवं अपने कार्यालयीन दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उसकी शक्तियों, कार्यों एवं कुलसचिव के कार्यालयीन दायित्वों का निर्वहन ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे कुलपति नियुक्त करे.

(5) वित्त समिति एवं कार्य परिषद् के निर्णय के अनुसार न्यासों एवं दान सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं विनिधानों के प्रबंध का दायित्व कुलसचिव का होगा;

(क) वह अभिलेखों, सामान्य मुद्रा एवं विश्वविद्यालय में उन अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जो कि कार्य परिषद् उसके प्रभार में सौंपे; तथा

(ख) वह कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड, परीक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक बुलाने की सभी सूचनाएं जारी करेगा.

(6) सभी वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों में जो विश्वविद्यालय के द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के विरुद्ध चलाई जाती हों, उनमें अभिवचन, कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे एवं उनका सत्यापन किया जाएगा एवं इस प्रकार के वादों एवं कार्यवाहियों में सभी आदेशिकायें कुलसचिव को जारी की जाएंगी एवं उन पर तामील की जाएंगी.

(7) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयुक्त करेगा एवं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा एवं ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करेगा जो कि कार्य परिषद् द्वारा विहित किये जाएं.

प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति.

14. धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार नियत दिनांक से तीन माह के भीतर राज्य शासन द्वारा प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी.

वित्त अधिकारी.

15. (1) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का ऐसा पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो राज्य शासन द्वारा, राज्य के वित्त विभाग के ऐसे अधिकारियों के बीच से नियुक्त किया जाएगा जो उपसंचालक वित्त की श्रेणी से निम्न का न हो.

(2) वित्त अधिकारी की परिलब्धियां तथा निबंधन व सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाये.

(3) जहां वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता के कारण अनुपस्थिति हो अथवा किसी अन्य कारण से उस पद की शक्तियां प्रयुक्त करने में एवं अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में एवं पद के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहे, तो वित्त अधिकारी के उस पद की शक्तियों, उसके कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन ऐसा व्यक्ति करेगा जो इस प्रयोजन हेतु कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये.

(4) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा.

(5) वित्त अधिकारी;

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा एवं वित्तीय विषयों के संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देगा; एवं

(ख) ऐसी अन्य शक्तियां प्रयुक्त करेगा एवं ऐसे अन्य कार्य करेगा जो कि कार्य परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाएं या जैसा कि विहित किया जाये :

परन्तु, वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् की पूर्व स्वीकृति से या जैसा कि विहित किया जाए किसी भी प्रकार का व्यय अथवा किसी भी प्रकार का विनिधान करेगा.

(6) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अध्यधीन, वित्त अधिकारी :—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्ती एवं अनावर्ती वार्षिक व्यय, कार्य परिषद् द्वारा तय की गई सीमा से अधिक न हो एवं जो धन जिस मद के लिये प्राप्त है या आवंटित है, वह उसी मद में खर्च हो;

(ख) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा, वित्तीय प्राक्कलन एवं आय-व्यय (बजट) तैयार करने एवं उन्हें वित्त समिति एवं कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ग) नकद एवं बैंक-अतिशेषों एवं विनिधानों पर सतत निगरानी रखेगा;

(घ) राजस्व-संग्रहण की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखेगा एवं राजस्व-संग्रहण की पद्धति के संबंध में सलाह देगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, उपकरणों, उपस्करों आदि की पंजियां अद्यतन रूप में संधारित की जाती है एवं विश्वविद्यालय द्वारा संधारित सभी कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में उपस्करों एवं उपयोग होने वाली सामग्री के संबंध में भण्डार जांच संचालित की जाती है;

(च) किसी अनाधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं की ओर कुलपति का ध्यान आकर्षित करे एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए सुझाव दें; तथा

(छ) अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिये, अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के लिये एवं अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये जैसा वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी भी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा संस्था से कोई भी सूचना अथवा विवरणी की मांग कर सकता है.

16. (1) प्रत्येक महाविद्यालय का एक अधिष्ठाता होगा जो ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए, कुलपति द्वारा नियुक्त, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा. **महाविद्यालय का अधिष्ठाता.**

(2) महाविद्यालय का अधिष्ठाता, ऐसी शक्तियों को प्रयुक्त करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

17. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय का एक अधिष्ठाता होगा जो ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए, कुलपति द्वारा नियुक्त, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा. **संकाय का अधिष्ठाता.**

(2) प्रत्येक संकाय का अधिष्ठाता, मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा जो संकाय-प्रशासन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा.

18. (1) संकाय का अधिष्ठाता, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के संगठन एवं प्रशासन एवं संचालन एवं कृषि क्षेत्र, अनुसंधान केन्द्र, चिकित्सालयों, रोगनिदान केन्द्रों आदि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा. **संकाय अधिष्ठाता का कर्तव्य.**

(2) प्रत्येक संकाय के अधिष्ठाता को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत निर्धारित हो एवं जैसा कि विहित किया जाए.

19. (1) संचालक, विहित रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा. **संचालक.**

(2) संचालक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

20. (1) अधिष्ठाता छात्र-कल्याण, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, एवं ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधन एवं सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए. **छात्र-कल्याण अधिष्ठाता.**

(2) अधिष्ठाता छात्र-कल्याण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

अध्याय-चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. कार्य परिषद्, विद्या परिषद, अध्ययन बोर्ड, वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.**

22. (1) कुलाधिपति, धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रथम कुलपति नियुक्त करने के पश्चात्, यथाशीघ्र कार्य परिषद् के गठन के लिये कदम उठायेंगे. **कार्य परिषद्.**

(2) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

पदेन सदस्य

(एक) कुलपति;

(दो) शासन के पशुपालन/दुग्ध/मत्स्य विभाग के सचिव;

(तीन) शासन के वित्त विभाग के सचिव;
(चार) सभी संचालकगण;
(पांच) सभी संकायों के अधिष्ठाता;
(छः) सभी महाविद्यालयों के अधिष्ठाता;
(सात) कुलसचिव.

अन्य सदस्य

(एक) दो वैज्ञानिक, (जो प्राध्यापक की श्रेणी से निम्न के न हों) जिन्हें पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षण का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.

(दो) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बाहर का एक व्यक्ति जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(तीन) एक पशुपालक किसान जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(चार) राज्य के गौशालाओं से एक प्रतिनिधि जिसे राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) दुग्ध अथवा पंचगव्य-उत्पादन या प्रसंस्करण के सम्बद्ध उद्योग का एक प्रतिनिधि जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(छः) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिसे शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(सात) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (पशु चिकित्सा प्रभाग) का एक प्रतिनिधि जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(आठ) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि जिसे उस परिषद् के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(नौ) छत्तीसगढ़ विधान सभा के दो सदस्य, जो सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से विधानसभाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु, विधानसभा की सदस्यता से अपात्र घोषित किसी सदस्य को इस प्रकार नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि कार्य परिषद् में नामनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा का सदस्य जिस दिनांक से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य नहीं रह जायेगा, उसी दिनांक से वह कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रह जाएगा.

(दस) कुलपति, कार्य परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कुलसचिव पदेन सदस्य सचिव होगा.

(ग्यारह) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल चार वर्षों का होगा.

(बारह) कार्य परिषद् के सदस्य, विश्वविद्यालय से सभाशुल्क प्राप्त करने एवं ऐसे दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जैसा कि विहित किया जाए :

परन्तु, उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी सदस्य को वह जिस पद पर है, और जिसके लिए वह पात्र है उसे इस निमित्त मिलने वाले सामान्य पारिश्रमिक (वेतन) अथवा भत्तों से वंचित नहीं करेगी.

(तेरह) पदेन सदस्यों को छोड़कर, कार्य परिषद् का कोई भी सदस्य, अपने कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा एवं सदस्य द्वारा ऐसा त्यागपत्र लिखित में पत्र द्वारा कुलाधिपति को भेजा जाएगा एवं यह त्यागपत्र, त्यागपत्र दिये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा.

23. कार्य परिषद् की शक्तियां निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :— कार्य परिषद् की शक्तियां.

(एक) परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम बनाना, संशोधित करना अथवा निरसित करना;

(दो) वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार करना एवं उनकी समीक्षा करना एवं विश्वविद्यालय के वार्षिक प्राक्कलन को अनुमोदित करना;

(तीन) आशयित प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधीन की गई निधियों के प्रबंध के लिए प्रावधान करना;

(चार) विश्वविद्यालय की निधियों के विनिधान एवं आहरण की व्यवस्था करना.

(पांच) शासन के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये ऋण लेना एवं उसके प्रतिसंदाय की यथोचित व्यवस्था करना;

(छः) विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों का धारण, नियंत्रण एवं व्यवस्थापन (प्रशासन);

(सात) विश्वविद्यालय की समान मुद्रा का निर्धारण, उसकी अभिरक्षा का प्रावधान करना एवं उसके उपयोग का विनियमन करना;

(आठ) ऐ ी समिति या तो स्थायी या अस्थायी जैसा कि वह आवश्यक समझे, नियुक्ति करना एवं उ धनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन उनके लिये संदर्भित विषयों (टर्म) को नि र्धारित करना;

(नौ) विश्वविद्यालय से संबंधित नीतिगत समस्त प्रश्नों को इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अवधारित एवं विनियमित करना;

(दस) ज्ञानार्जन की ऐसी शाखाओं और पाठ्यचर्याओं के शिक्षण, अध्यापन, अनुसंधान अभिवर्धन एवं ज्ञान के प्रसार के लिये जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए, वित्तीय प्रावधान करना;

(ग्यारह) इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक महाविद्यालयों, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, प्रायोगिक गौशाला फार्मों एवं अन्य सुविधाओं को स्थापित करने एवं उनका संधारण करने का प्रावधान करना;

(बारह) छात्रवृत्तियां, शोधवृत्तियां, प्रशस्तियां, प्रदर्शनियां एवं पुरस्कार (मेडल एवं प्राइज) संस्थापित करने एवं उनका संधारण करने एवं प्रदान किये जाने का प्रावधान करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, दान एवं चल-अचल सम्पत्तियों का उसके नाम अन्तरण स्वीकार करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना;

(पंद्रह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हो.

कार्य परिषद् की बैठक.

24. (1) उप-धारा (2) एवं (3) के प्रावधानों के अध्यधीन, कार्य परिषद् की बैठकें (सभाएं) ऐसे स्थानों पर एवं समयों पर होंगी तथा उन बैठकों में कार्यवाही चलाने की गणपूर्ति सहित उन बैठकों के कार्य के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु कार्य परिषद् की बैठकें तीन माह में कम से कम एक बार होगी.

(2) कार्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी.

(3) कार्य परिषद् की किसी भी बैठक में सभी मसले (प्रश्न), उपस्थित एवं मतदानकर्ता सदस्यों के बहुमत के द्वारा निर्णीत किये जाएंगे एवं समान मत प्राप्त होने की स्थिति में कुलपति अथवा अध्यक्षता करने वाला सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, द्वितीय अथवा निर्णायक मत देगा.

(4) कार्य परिषद्, किसी विचारणीय विषय पर परामर्श के प्रयोजन के लिये, उस विषय के विशेष ज्ञानसम्पन्न अथवा प्रायोगिक अनुभवसम्पन्न व्यक्ति को किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित कर सकती है तथा ऐसा व्यक्ति सभा में बैठ सकता है तथा अन्यथा ऐसी बैठक (सभा) की कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा.

विद्या परिषद्.

25. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्राधिकरण होगा एवं वह परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान, विकास एवं विस्तार एवं परीक्षाओं पर नियंत्रण रखेगा एवं सामान्य नियमन करेगा एवं उनका स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी उस पर होगी.

विद्या परिषद् का गठन.

26. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

पदेन सदस्य

(क) कुलपति;
(ख) निदेशकगण;
(ग) संकाय के सभी अधिष्ठाता;
(घ) महाविद्यालय के सभी अधिष्ठाता;
(ङ) कुलसचिव-सदस्य सचिव.

अन्य सदस्य

(क) विभागाध्यक्षों के बीच से सदस्यों को, जिनकी संख्या पांच से अधिक न हो, आवर्ती आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ख) पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ज्ञानसंपन्न अथवा प्रायोगिक अनुभवसंपन्न तीन व्यक्तियों को जो श्रेयस्कर रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के प्रतिनिधि हों, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(2) कुलपति विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कुलसचिव पदेन सचिव होगा.

(3) पदेन सदस्यों को छोड़कर, विद्या परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा.

(4) विद्या परिषद् के सदस्यों को, ऐसे सभाशुल्क, दैनिक तथा यात्रा भत्ते जैसा कि विहित किया जाए, को छोड़कर, विश्वविद्यालय से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी:

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी सदस्य को, वह जिस पद पर है, और जिसके लिए वह पात्र है उसे इस निमित्त मिलने वाले सामान्य परिश्रमिक अथवा भत्तों से वंचित नहीं करेगी.

(5) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों को छोड़कर, कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है एवं ऐसे त्यागपत्र के संबंध में सदस्य द्वारा लिखित में पत्र द्वारा कुलाधिपति को अवगत कराया जाएगा तथा यह त्यागपत्र, कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा.

विद्या परिषद् की शक्तियां एवं कार्य.

27. इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन विद्या परिषद् :—

(एक) विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान एवं परीक्षाओं का सामान्यतः नियमन करेगी एवं उन पर नियंत्रण रखेगी एवं उनका स्तरं बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगी एवं उपाधियां अर्जित करने की आवश्यकताएं निर्धारित करेगी;

(दो) सभी शैक्षिक विषयों पर, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम बनाने के लिये विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् एवं अन्य प्राधिकरणों को निम्नानुसार परामर्श देगी—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश देगी एवं प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या,

(ख) उपाधियों, पत्रोपाधियों एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियों का मार्ग प्रशस्त करने वाले पाठ्यक्रम चलाएगी,

(ग) परीक्षाएं लेगी एवं शिक्षा का स्तर बनाए रखेगी एवं उसे प्रोन्नत करेगी;

(तीन) सभी शैक्षिक विषयों में कार्य परिषद् को परामर्श देगी जिसमें पुस्तकालय का नियंत्रण एवं प्रबंधन भी सम्मिलित है;

(चार) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा के पदों के संस्थापन के लिए एवं उनके दायित्वों के संबंध में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;

(पांच) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के विभागों की रचना या पुनर्रचना की योजना बनायेगी या उसमें सुधार करेगी या परिवर्तन करेगी;

(छः) अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के संबंध में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;

(सात) विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा के पदों के लिए विहित की जाने वाली योग्यताओं के बारे में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;

(आठ) मानद उपाधियां या अन्य प्रशस्तियां प्रदान करने के संबंध में कार्य परिषद् को अनुशंसा करेगी;

(नौ) ऐसी अन्य शक्तियां प्रयुक्त करेगी एवं ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी जैसा कि विहित किया जाए;

(दस) अध्यादेश बनाने, उन्हें संशोधित करने या उन्हें निरसित करने के लिए, कार्य परिषद् को प्रारूप प्रस्तावित करेगी.

संकाय.

28. (1) विश्वविद्यालय के एक या अधिक ऐसे संकाय होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(2) प्रत्येक संकाय में अधिष्ठाता एवं ऐसे अन्य सदस्य समाविष्ट होंगे एवं ऐसी शक्तियां होंगी एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(3) प्रत्येक संकाय के ऐसे विभाग होंगे जैसा कि अध्यादेश द्वारा इसके लिए समनुदेशित किया जाए.

(4) संकाय अधिष्ठाता की नियुक्ति, धारा 17 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.

(5) संकाय अधिष्ठाता, संकाय का सभापति (चेयरमेन) होगा एवं संकाय से सम्बन्धित परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के क्रियान्वयन एवं अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार-शिक्षा संचालित करने एवं उनका स्तर बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

(6) संकायों के साथ ही विश्वविद्यालय में एकान्तिक रूप से कामधेनु एवं पंचगव्य विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीकी विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ऐसा "कामधेनु एवं पंचगव्य अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र" होगा जिसका गठन, कार्यों एवं गतिविधियों को इस निमित्त बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

अध्ययन बोर्ड. 29. एक या अधिक संकायों का एक अध्ययन-बोर्ड होगा जिसका गठन एवं कार्य ऐसा होगा जैसा कि विहित किया जाए.

वित्त समिति. 30. (1) कार्य परिषद्, एक वित्त समिति नियुक्त करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति;
(ख) शासन के पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग के सचिव;
(ग) शासन के वित्त विभाग के सचिव;
(घ) कार्य परिषद् द्वारा अपने अशासकीय सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य; एवं
(ङ) वित्त अधिकारी.

(2) पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग या वित्त विभाग के शासकीय प्रभार का कोई सचिव यदि वित्त समिति की किसी बैठक (सभा) में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ हो तो वह बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने विभाग के किसी अधिकारी या उसके नामित को, जो शासन के उपसचिव के पद की श्रेणी से निम्न का न हो, नामनिर्दिष्ट (प्रतिनियुक्त) कर सकेगा एवं इस प्रकार के नामनिर्दिष्ट (प्रतिनियुक्त) अधिकारी को बैठक की बहस में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा.

(3) कुलपति, वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा एवं वित्त अधिकारी पदेन सचिव होगा.

(4) वित्त समिति :

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा एवं वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन का परीक्षण करेगी एवं तदनुसार कार्य परिषद् को परामर्श देगी;

(ख) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगी;

(ग) प्रत्येक उस प्रस्ताव पर जिसमें व्यय सन्निहित है, किन्तु वार्षिक प्राक्कलनों में प्रावधान नहीं है अथवा जिनका प्रावधान वित्तीय प्राक्कलनों में है, उससे अधिक व्यय सन्निहित है, ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर कार्य परिषद् को अनुशंसाएं देगी;

(घ) विश्वविद्यालय के आर्थिक साधनों से संबंधित सभी विषयों में कार्य परिषद् को अनुशंसाएं देगी;

(ङ) ऐसे अन्य कार्य करेगी जैसा कि विहित किया जाए.

31. कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन आवश्यकतानुसार ऐसी रीति में कर सकेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया गया हो. **अन्य प्राधिकारियों का गठन.**

अध्याय-पांच
निधि एवं लेखा

32. विश्वविद्यालय की एक विश्वविद्यालय निधि होगी जिसमें फीस से प्राप्त आय, प्रतिदान, अनुदान, दान एवं भेंट से यदि कोई आय हो तो वह एवं केन्द्र शासन, किसी राज्य शासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उसके समान कोई प्राधिकरण अथवा कोई अन्य स्थानीय निकाय अथवा राज्य शासन के स्वामित्व का अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा दिया गया योगदान अथवा अनुदान, जमा किया जाएगा. **विश्वविद्यालय निधि.**

33. विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां भी हो सकती हैं जैसा कि विहित किया जाए. **अन्य निधि.**

34. विश्वविद्यालय की निधियों एवं सम्पूर्ण धन का प्रबंध, ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए. **निधियों का प्रबंधन.**

35. (1) शासन, प्रतिवर्ष, अव्यपगत न होने वाले एकमुश्त आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान, ऐसे अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय को प्रदान करेगा जैसा कि शासन विश्वविद्यालय के उचित कार्यकरण के लिये आवश्यक समझे. **अनुदान.**

(2) शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं उसके उपयोग के संबंध में, विश्वविद्यालय ऐसे विवरण, लेखा, प्रतिवेदन एवं अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जैसा कि शासन द्वारा अपेक्षित किया जाए.

36. विश्वविद्यालय निधि, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाई जाएगी :— **उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय की निधि का उपयोग किया जा सकता है.**

(एक) इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनियमों एवं विनियमों के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा लिये गए ऋणों का प्रतिसंदाय;

(दो) ऐसे मुकदमें या कार्यवाही का व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष हो;

(तीन) इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनियमों एवं विनियमों के प्रयोजनों के प्रवर्धन के लिये नियोजित, विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों एवं विभागों में नियोजित अध्यापक वर्ग के सदस्यों को वेतन एवं भत्तों की अदायगी एवं किन्हीं अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अध्यापक वर्ग के सदस्यों एवं ऐसे स्थापना के सदस्यों के पेंशन एवं भविष्यनिधि-योगदान की अदायगी;

(चार) विश्वविद्यालय, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् और अन्य किन्हीं प्राधिकारियों के सदस्यों अथवा इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनियमों एवं विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों को यात्रा एवं अन्य भत्तों की अदायगी;

(पांच) शोधवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्रवृत्तियों एवं विद्यार्थियों को अन्य पुरस्कारों की अदायगी;

(छः) महाविद्यालयों, विभागों, आवासों एवं छात्रावासों का संधारण;

(सात) विश्वविद्यालय निधि के लेखा परीक्षण व्यय की अदायगी;

(आठ) इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये परिनियमों एवं विनियमों के प्रावधानों को अमल में लाने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले खर्च की अदायगी; एवं

(नौ) किसी भी अन्य व्यय की अदायगी, जो पूर्ववर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट नहीं है, कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए व्यय घोषित किया गया हो.

वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा (ऑडिट).

37. (1) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया वार्षिक लेखा, ऐसी जांच एवं लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि शासन निर्देश दे तथा वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति शासन को प्रस्तुत की जाएगी.

(2) विश्वविद्यालय, लेखा परीक्षण में उठाई गई आपत्तियों को सुलझाएगा तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएं, उनका पालन करेगा.

(3) शासन, वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित विधान सभा के पटल पर रखवायेगा.

(4) वित्त अधिकारी, ऐसी तारीख जो कि विहित हो, के पूर्व आगामी वर्ष के लिये वार्षिक आर्थिक प्राक्कलन तैयार करेगा.

(5) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया वार्षिक लेखा एवं वार्षिक आर्थिक प्राक्कलन, वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ कार्य परिषद् की वार्षिक सभा में उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा एवं कार्य परिषद् उसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर सकेगी एवं उसे कम्पट्रोलर को संसूचित करेगी जो तदनुसार कार्यवाही करेगा.

अध्याय-छः
सेवा की शर्तें

पेन्शन उपदान आदि.

38. (1) विश्वविद्यालय, अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लाभ के लिये जैसा कि उचित समझे, ऐसी रीति में एवं ऐसे शर्तों के अध्यधीन, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा एवं भविष्यनिधि प्रारंभ करेगा, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए.

स्पष्टीकरण :— इस धारा एवं धारा 7 के प्रयोजन के लिये शब्द "अधिकारी" में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति समाविष्ट नहीं होगा.

(2) विश्वविद्यालय, वित्त समिति के परामर्श से भविष्यनिधि की राशि को भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में निवेशित कर सकेगा.

सेवा की शर्तें.

39. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.

(2) परिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसितों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का वैतनिक अध्यापक नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(3) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन की अदायगी, राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति से परिनियमों द्वारा निश्चित वेतनमानों के अनुसार होगी.

(4) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या एवं उनके चयन की पद्धति जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए.

अध्याय-सात
परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम

40. इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं विषयों के लिए परिनियम उपबंधित किये जा सकते हैं, अर्थात् :— **परिनियम.**

(एक) शर्तें जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यान्वित किए जा सकते हैं;

(दो) जिस पद्धति से एवं जिन शर्तों के अंतर्गत मानद उपाधियां एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान की जा सकती हैं;

(तीन) फीस एवं अन्य प्रभारों का निर्धारण, अदायगी एवं प्राप्ति;

(चार) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये शैक्षणिक योग्यताओं एवं मानकों का निर्धारण;

(पांच) वे निबंधन एवं शर्तें जिनके अध्यधीन कुलसचिव की नियुक्ति की जा सकती है एवं उसकी शक्तियां, कार्य एवं कर्त्तव्य;

(छ:) वे निबंधन एवं शर्तें जिनके अध्यधीन वित्त अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है एवं उसकी शक्तियां, कार्य एवं कर्त्तव्य;

(सात) वे निबंधन एवं शर्तें जिनके अध्यधीन निदेशक नियुक्त किये जा सकते हैं एवं उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य;

(आठ) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद् एवं अन्य प्राधिकारी एवं उनकी समितियों के सदस्यों को दिये जाने वाले दैनिक एवं यात्रा भत्ते;

(नौ) प्रत्येक संकाय के लिये विषयों का निर्धारण;

(दस) संकायों का गठन, शक्तियां एवं कार्य;

(ग्यारह) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां एवं कार्य;

(बारह) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां एवं कार्य;

(तेरह) जिस पद्धति से प्रत्येक संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति की जा सकती है;

(चौदह) विश्वविद्यालय की निधि एवं धन की स्थापना एवं प्रबंध;

(पन्द्रह) लेखा परीक्षित लेखे के प्रकाशन की रीति;

(सोलह) जिस अवधि के लिए एवं जिस रीति में धारा 42 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विद्यार्थियों के लिए शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण एवं परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी; एवं

(सत्रह) अन्य कोई विषय जिसकी आवश्यकता हो या जो कि विहित किया जाए.

परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.

41. (1) कार्य परिषद्, समय-समय पर परिनियम बना सकती है तथा इस धारा में उपबंधित रीति में या इसमें इसके पश्चात् परिनियम संशोधित कर सकती है अथवा निरसित कर सकती है.

(2) विद्या परिषद्, कार्य परिषद् को किसी परिनियम का प्रारूप अथवा उसमें कोई संशोधन, अथवा कार्य परिषद् द्वारा किसी परिनियम को निरसित करने का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है तथा कार्य परिषद् द्वारा अगली बैठक में ऐसे प्रारूप (प्रस्ताव) पर विचार किया जायेगा.

(3) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् द्वारा उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तावित प्ररूप पर विचार कर सकती है एवं उसे या तो पारित कर सकती है या उसे अस्वीकृत कर सकती है अथवा संशोधनसहित अथवा संशोधनरहित रूप में विद्या परिषद् को पुनर्विचारार्थ लौटा सकती है.

(4) (क) कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् को किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है एवं कार्य परिषद् ऐसे प्रारूप को या तो स्वीकृत कर सकती है या प्रारूप, विद्या परिषद् के दायरे में न आने वाले विषय से संबंधित हो, तो उसे अस्वीकृत कर सकती है.

(ख) इस तरह का प्रारूप यदि विद्या परिषद् के दायरे में आता हो तो कार्य परिषद् उसे विद्या परिषद् के विचारार्थ संदर्भित करेगी, जो कार्य परिषद् को, प्रारूप पर यदि उसकी असहमति हो तो अपनी असहमति से अवगत कराएगी अथवा प्रारूप को जिस रूप में तय करेगी, उस रूप में विद्या परिषद् स्वीकृत करेगी एवं उसे कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी एवं कार्य परिषद् या तो संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित रूप में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है.

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित परिनियम, कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं एवं कार्य परिषद् द्वारा पारित परिनियम की कोई वैधता नहीं होगी यदि कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हो.

अध्यादेश.

42. इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी अथवा उनमें से किन्हीं विषयों पर अध्यादेश का उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) परीक्षकों की नियुक्ति सहित परीक्षाओं का आयोजन एवं उनके निबंधन एवं शर्तें;

(ख) विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में प्रवेश एवं उनका पंजीयन एवं उनकी निरंतरता एवं पंजी में से नाम निरस्त करने की शर्तें (उपबंध) एवं प्रक्रिया;

(ग) शुल्क, जो विश्वविद्यालय द्वारा लिया जा सकेगा;

(घ) उपाधियों, पत्रोपाधियों एवं अन्य प्रशस्तियों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम का निर्धारण;

(ङ) शर्तें जिसके अध्यधीन विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में प्रवेश लेंगे एवं उपाधि एवं पत्रोपाधि प्राप्त करने की पात्रता;

(च) उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य प्रशस्तियां प्रदान करने के उपबन्ध;

(छ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना;

(ज) विशेष व्यवस्थाएं, जो आवास, अनुशासन एवं महिला अध्यापकों के लिये की जाए;

(झ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास संबंधी उपबन्ध एवं छात्रावास का शुल्क;

(ञ) छात्रावासों, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा न चलाया जाता हो, उन्हें मान्यता देना एवं उनका प्रबंध;

(ट) इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय जिसे विश्वविद्यालय के अध्यादेश द्वारा अथवा के अन्तर्गत लेना.

अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.

43. (1) कार्य परिषद्, यहां आगे उपबंधित रीति में अध्यादेश बना सकती है, उन्हें संशोधित अथवा निरसित कर सकती है;

(2) कार्य परिषद् द्वारा शैक्षिक विषयों से संबंधित कोई अध्यादेश तब तक निर्मित नहीं किया जायेगा जब तक कि विद्या परिषद् द्वारा उसका प्रारूप प्रस्तावित न किया गया हो;

(3) कार्य परिषद् को उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु वह उसे अस्वीकृत कर सकती है अथवा कोई संशोधन जो कार्य परिषद् सुझाये, के साथ उसे आंशिक अथवा संपूर्ण रूप में विद्या परिषद् को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकती है;

(4) विद्या परिषद् द्वारा निर्मित सभी अध्यादेश उस दिनांक से प्रभावशील होंगे जो वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार निर्मित प्रत्येक अध्यादेश, दो सप्ताह के भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा. कुलाधिपति को, कार्य परिषद् को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि चार सप्ताहों के भीतर वह उक्त अध्यादेश का क्रियान्वयन स्थगित करे और यथासंभव शीघ्र वह अपनी आपत्तियों से कार्य परिषद् को अवगत कराएगा एवं उस पर कार्य परिषद् की टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के उपरांत वह (कुलाधिपति) या तो अपना स्थगन आदेश वापस ले लेगा अथवा अध्यादेश को अस्वीकृत कर देगा एवं उसका (कुलाधिपति का) निर्णय अंतिम होगा.

विनियम.

44. (1) इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण निम्नलिखित सभी अथवा उनमें से किन्हीं विषयों पर उपबंध करने हेतु अधिनियम के अनुरूप विनियम बना सकता है, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन-प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा सदस्यों को सभा की, उसके दिनांक एवं सभा में किये जाने वाले कार्य की सूचना दी जाना एवं सभा के कामकाज का अभिलेख रखना;

(ग) सभा में पालन की जाने वाली प्रक्रिया एवं सभा के लिये सदस्यों की गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या; एवं

(घ) अन्य कोई विषय जो विनियमों द्वारा अपेक्षित हो या जो विहित किया जाये.

(2) विद्या परिषद्, परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं उपाधियां, पत्रोपाधियां एवं अन्य शैक्षिक प्रशस्तियां प्रदान करने के प्रावधान करने वाले विनियम, संबंधित अध्ययन बोर्ड से उनके प्रारूप प्राप्त होने के उपरांत बना सकती हैं.

(3) कार्य परिषद्, संबंधित प्राधिकरण को ऐसा निर्देश दे सकती है, जैसा कि किसी विनियम को संशोधित करने के लिए उचित समझे.

अध्याय-आठ
महाविद्यालयों एवं संस्थानों, कर्मचारियों एवं निधियों का अंतरण

विश्वविद्यालय को कतिपय महाविद्यालयों एवं संस्थानों का अंतरण.

45. (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्र. 20 सन् 1987) में अथवा इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, विनियमों एवं आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अस्तित्व में आने पर एवं उसके उपरांत, अनुसूची में उल्लिखित महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालय की चल-अचल सम्पत्तियों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय एवं संस्थान अंतरित किये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किये जाएंगे.

(2) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने पर अथवा उस दिन से उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों एवं संस्थानों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की सभी सम्पत्तियां, आस्तियां एवं देयताएं विश्वविद्यालय को अंतरित एवं उसमें सन्निहित होंगी.

(3) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के उपरांत किसी भी समय शासन, अपनी किन्हीं भूमियों को, विश्वविद्यालय के उपयोग के लिये, उन निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, विश्वविद्यालय को अंतरित कर सकेगा.

(4) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के उपरांत किसी भी समय शासन, उन निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, अपने किन्हीं महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के नियंत्रण एवं प्रबंधन को विश्वविद्यालय को अंतरित कर सकता है.

(5) तत्समय प्रभावशील किसी भी अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, विनियमों या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में, विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में चाहे जो प्रावधान हों, शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट महाविद्यालय एवं संस्थान विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक से असम्बद्ध होकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध माने जाएंगे एवं इस अधिनियम के प्रावधान यथासंभव तद्नुसार लागू होंगे.

प्रवेश एवं उपाधियां प्रदान करने के लिए विशेष उपबंध.

46. इस अधिनियम में, परिनियमों अथवा विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 45 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों के प्रत्येक विद्यार्थियों को, जो इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के पूर्व तक जिस महाविद्यालय में पढ़ रहा था अथवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र था, उसे उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अथवा उस परीक्षा में प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय देगा और विश्वविद्यालय इसका प्रबंध करेगा :

(क) ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं परीक्षा के आयोजन के लिए प्रथम कुलपति द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसी अवधि एवं ऐसी रीति में होगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए; और

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अर्हता प्राप्त ऐसे विद्यार्थियों को तत्स्थानी उपाधि, पत्रोपाधि अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने के लिये व्यवस्था करना.

कतिपय कर्मचारियों की सेवा का अन्तरण.

47. (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय एवं संस्थान विश्वविद्यालय को अंतरित होंगे, इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के तत्काल पूर्व उसमें सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त दिनांक से छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का कर्मचारी बन जाएगा.

(2) (क) इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद यथाशीघ्र शासन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के परामर्श से सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से निर्देशित करेगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट कर्मचारी, ऐसे आदेश से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं/अथवा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कार्यों से संबंधित सेवाओं के लिये आवंटित होंगे.

(ख) उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को एवं उस दिनांक से ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कर्मचारी बन जायेंगे तथा वे कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय को स्थानांतरित हो गए हों, जैसी भी स्थिति हो, वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे.

(3) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति उसी अवधि के लिये एवं उसी पारिश्रमिक एवं उन्हीं अधिकारों, पेंशन या उपादान जैसी विशेष सुविधाओं पर, यदि हों एवं अन्य विषय, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर अथवा उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को प्राप्त रहे हों, यथास्थिति वैसा ही (उसी पद पर, उसी प्रकार से) रहेगा जैसे कि इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की स्थिति में रहता.

(4) उपरोक्त उल्लिखित विश्वविद्यालय में ली गई सेवाओं की अवधि के अनुपात में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के पेंशन तथा ग्रेज्युटी का भुगतान और संचित अधिवार्षिता निधि या इस प्रकार के अन्य निधियों का दायित्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का होगा.

48. (1) धारा 47 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियत दिनांक पर एवं उसी धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की उक्त उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को भविष्यनिधि खाते में जमा राशि, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय को अन्तरित की जाएगी एवं उक्त भविष्यनिधि खाते की देयता छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की देयता होगी. भविष्यनिधि, पेंशन एवं अन्य निधियां.

(2) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अथवा शासन के, जैसी भी स्थिति हो, अधिवार्षिता निधि एवं इस प्रकार की अन्य कोई निधि यदि कोई हो, तो उनमें संचित धन चूंकि धारा 47 की उप-धारा (1) एवं (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से अधिवार्षिता निधि एवं इसी प्रकार की अन्य निधि यदि हो, में जमा किया हुआ धन है, इस संचित धन में से विश्वविद्यालय को अदायगी की जाएगी एवं इस प्रकार अदा किया गया धन ऐसे अधिवार्षिता निधि या इस प्रकार के अन्य निधियों यदि कोई हों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये स्थापित किये जा सकते हैं, का हिस्सा होगा.

49. (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के परामर्श से शासन, जैसा कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तदनुसार उतना धन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपने निधि से इस अधिनियम के अस्तित्व में आने पर विश्वविद्यालय को प्रदान करेगा. **निधि का अन्तरण.**

(2) राज्य शासन यह प्रयास करेगा कि उप-धारा (1) के अधीन आदेश, विश्वविद्यालय की स्थापना के 18 माह के भीतर जारी किया जाए.

अध्याय-नौ
राज्य शासन की आपातकालीन शक्तियां

50. (1) यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रबंधन अथवा वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जिससे विश्वविद्यालय का वित्तीय स्थायित्व खतरे में पड़ गया है तो वह अधिसूचना के द्वारा यह घोषित कर सकता है कि विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबंध राज्य शासन के नियंत्रण के अध्यधीन होगा. **राज्य शासन कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.**

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना, प्रथम दृष्टि से, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रवर्तन में रहेगी एवं राज्य शासन समय-समय पर इसी प्रकार की अधिसूचनाओं के द्वारा प्रवर्तन की कालावधि, जितना वह उचित समझे, बढ़ा सकता है परन्तु प्रवर्तनशीलता की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी.

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रवर्तन कालावधि के दौरान राज्य शासन के कार्यकारी प्राधिकारों का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे सकेगा कि वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाये, अनुपालन करे एवं इस प्रयोजन के लिये ऐसे अन्य निर्देश दे सकेगा, जिन्हें राज्य शासन आवश्यक एवं पर्याप्त समझे.

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्देश में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित करने की अपेक्षा की जा सकती है—

(क) बजट का शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण;

(ख) वित्तीय विवक्षताओं से युक्त प्रत्येक प्रस्ताव का शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतीकरण;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित अधिकारियों अध्यापकों एवं अन्य व्यक्तियों के वेतनमान एवं भत्तों की दरों में पुनरीक्षण के प्रत्येक प्रस्ताव का शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतीकरण;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित सभी अथवा उनके किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों एवं भत्तों में कटौती;

(ङ) वेतनमानों और भत्तों की दरें कम करना; एवं

(च) ऐसे अन्य विषयों से संबंधित प्रस्ताव, जो विश्वविद्यालय के वित्तीय दबाव को कम करे.

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी एवं प्रत्येक अधिकारी के लिय यह बंधनकारक होगा कि वह इस धारा के अंतर्गत दिये गए निर्देश को क्रियान्वित करे.

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी, इस धारा के अधीन दिये गए निर्देश का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के निधि अथवा संपत्ति के दुरुपयोग के लिये जिसका वह एक पक्ष रहा हो अथवा दायित्व निर्वहन की उसके द्वारा की गई घोर उपेक्षा के कारण जो घटित अथवा सुकर हुआ है, उसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा एवं पशुपालन विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर संबंधित अधिकारी से वसूली भूराजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी:

परन्तु संबंधित व्यक्तिगों को स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर दिये बिना एवं उस स्पष्टीकरण पर, शासन द्वारा जब तक विचार न कर लिया जाए, क्षति की वसूली की कार्यवाही राजस्व बकाया के रूप में नहीं की जाएगी.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.

51. (1) सूचना प्राप्त होने अथवा अन्यथा शासन को यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों को हानि पहुंचाए बिना नहीं चलाया जा सकता एवं विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो अधिसूचना के द्वारा जिसमें कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, शासन यह निर्देश देगा कि उप-धारा (2), (3), (4) एवं (5) के प्रावधान, अधिसूचना में निर्दिष्ट दिनांक से (जो इस धारा में इसमें इसके पश्चात् नियत दिनांक के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय पर प्रभावशील होंगे.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना (जो आगे अधिसूचना के रूप में निर्दिष्ट है) नियत दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी एवं शासन समय-समय पर जैसा कि उचित समझे, इसकी अवधि आगे बढ़ा सकती है :

परन्तु, अधिसूचना की कुल प्रवर्तन-अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(3) नियत दिनांक से तत्काल पूर्व पदासीन कुलपति, नियत दिनांक के होते हुए भी यदि उसकी पदावधि समाप्त न हो तो भी अपना पद रिक्त कर देगा तथा अधिसूचना प्रसारण के साथ ही साथ, राज्य शासन से परामर्श कर कुलाधिपति अन्य व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगा एवं इस प्रकार से नियुक्त कुलपति अधिसूचना की प्रवर्तन अवधि के दौरान पदासीन रहेगा:

परन्तु, इस प्रकार से नियुक्त कुलपति, अधिसूचना प्रवर्तन अवधि के अवसान होते हुए भी उसके उपरांत अधिकतम छ: माह की अवधि के लिये तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता.

(4) नियत दिनांक से निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगे, अर्थात् :—

(क) कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, नियत दिनांक के तत्काल पूर्व उस पद पर नहीं रह जाएगा.

(ख) जब तक कार्य परिषद् अथवा विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए, उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् को इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अथवा अधिरोपित शक्तियों एवं दायित्वों, का निर्वहन करेगा :

परन्तु, कुलाधिपति यदि वह आवश्यक समझे तो राज्य शासन से परामर्श कर एक शिक्षाशास्त्री, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ एवं एक अर्थशास्त्री की एक समिति, उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त कुलपति की शक्तियों और दायित्वों के निर्वहन में सहायता के लिये नियत कर सकता है.

(5) अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता अवधि समाप्त होने के पूर्व, यथासाध्य रूप में यथाशीघ्र, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् गठित करने के लिये कुलपति कदम उठाएगा और इस तरह से गठित कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद्, अधिसूचना की प्रवर्तन अवधि समाप्त होने के दिनांक के ठीक आगामी दिनांक से अथवा उपरोक्त निकाय का गठन जिस दिनांक को किया गया हो इनमें से जो दिनांक उत्तरवर्ती होगा, उस दिनांक से कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् कार्य करना आरम्भ कर देगी :

परन्तु, अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का गठन न हो सके तो कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन कुलपति, इन प्राधिकरणों की प्रत्येक शक्तियों का प्रयोग अधिसूचना की प्रवर्तनशीलता-अवधि समाप्त होने के बाद तब तक करेगा जब तक कि कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का यथास्थिति इस प्रकार गठन न हो जाए.

अध्याय-दस

प्रकीर्ण

निरीक्षण एवं जांच.

52. (1) कुलाधिपति को, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के द्वारा जिसे/जिन्हें वह निदेशित करे निरीक्षण कराने का अधिकार होगा—

(क) विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं एवं उपकरणों का;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी महाविद्यालय, संस्थान अथवा छात्रावास का;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा कराए जाने वाले अध्यापन एवं अन्य कार्यों; अथवा

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा का संचालन.

(2) विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के माध्यम से जिसे/जिन्हें वह निर्देशित करे, जांच कराने का अधिकार भी कुलाधिपति को होगा.

(3) प्रत्येक मामले में कुलाधिपति, कोई जांच अथवा निरीक्षण करने के अपने आशय से विश्वविद्यालय को सूचित कराएगा तथा इस प्रकार की जांच या निरीक्षण में अपना प्रतिनिधि रखने का विश्व-विद्यालय को अधिकार होगा.

(4) इस प्रकार के निरीक्षण या जांच के परिणामों के संदर्भ में, कुलाधिपति अपनी राय से विश्वविद्यालय को अवगत कराएगा एवं उस पर विश्वविद्यालय का मत जानने के बाद, जो कार्रवाई की जानी है, उसके संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देगा एवं की जाने वाली ऐसी कार्रवाई की समय-सीमा निर्धारित करेगा.

(5) कुलाधिपति द्वारा दी गई सलाह पर निर्धारित की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में विश्वविद्यालय कुलाधिपति को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन देगा.

(6) विश्वविद्यालय यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता अथवा विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई कुलाधिपति की राय में संतोषजनक न हो, तो इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण अथवा किये गये प्रतिपादन पर विचार करने के उपरांत कुलाधिपति जैसा वह उचित समझे, निर्देश जारी कर सकता है एवं विश्वविद्यालय उस निर्देश का पालन करेगा.

(7) विश्वविद्यालय यदि ऐसे निर्देश का ऐसे समय सीमा के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त निर्धारित की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को अधिकार होगा कि ऐसे निर्देशों का पालन कराने के लिये वह किसी व्यक्ति अथवा निकाय को नियुक्त करे एवं उस पर जितना आवश्यक हो, व्ययों के लिये आदेश दे सकता है.

वार्षिक रिपोर्ट.

53. (1) कुलपति के निर्देशन में विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा एवं जिस वार्षिक सभा में उस पर विचार होना हो, उसके न्यूनतम एक माह पूर्व उसे कार्य परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) कार्य परिषद्, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद उसकी एक प्रति शासन को प्रेषित करेगी.

(3) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होने के बाद शासन उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ उसे विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं निकायों के साथ गठन संबंधी विवाद.

54. कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य विधिवत् नियुक्त हुआ है अथवा नहीं अथवा सदस्य बनने की पात्रता वह रखता है अथवा नहीं, यह प्रश्न उपस्थित होने पर, उस प्रश्न को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा एवं जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

55. (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी में सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह ऐसे नामनिर्देशन की तारीख को :— सदस्यता के लिए निरर्हता.

(क) विकृत चित्त हो;

(ख) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत अभ्यर्थी है या अनुन्मोचित दिवालिया हो; अथवा

(ग) नैतिक पतन में अन्तर्वलित होने वाले किसी अपराध के लिये आपराधिक न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डित किया गया हो;

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति अपात्र है अथवा नहीं, यह विवाद या संदेह उत्पन्न होने पर ऐसे मामले कार्य परिषद्, कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

56. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकायों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा यथाशीघ्र भरी जाएंगी, जिसने उस सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया था एवं जिसका स्थान रिक्त हुआ है एवं आकस्मिक रिक्तियों हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का संबंधित प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में कार्यकाल उतनी ही शेष अवधि के लिये होगा जितना पूर्ववर्ती सदस्य की सदस्यता बनी रहने पर होता : आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

परन्तु यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय के सदस्य के रूप में अवधि (कार्यकाल) पूर्ण होने की तारीख के पूर्व छः माह के भीतर ऐसी रिक्ति हो तो आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी.

57. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ है तथा कार्य परिषद् की राय में उक्त अपराध में नैतिक पतन सन्निहित है अथवा वह घोर दुराचरण का दोषी है तो इस कारण पर कार्य परिषद् की सभा में कुल सदस्यों के बहुमत एवं कार्य परिषद् के उपस्थित एवं मतदानकर्ता सदस्यों के न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से, पारित संकल्प द्वारा संबंधित व्यक्ति को विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकरण की सदस्यता से इस निमित्त लिखित में आदेश के माध्यम से कार्य परिषद् द्वारा हटाया जा सकता है एवं इसी कारण पर कार्य परिषद् संबंधित व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई उपाधि या पत्रोपाधि अथवा अन्य शैक्षिक प्रशस्ति वापस ले सकती है. सदस्यता से हटाया जाना.

(2) जो व्यक्ति विकृत चित्त हो गया हो या जिसने स्वयं को दिवालिया न्यायनिर्णित करने का आवेदन दिया हुआ हो या जो दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो, उसे भी कार्य परिषद्, इस निमित्त लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकरण की सदस्यता से हटा सकती है.

(3) इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को किये जाने वाले प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो.

(4) उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार पारित होने के पश्चात्, पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति यथाशीघ्र विहित रीति में संबंधित व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी.

58. विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों को समितियों के गठन अथवा पुनर्गठन का अधिकार होगा एवं अपनी शक्तियों का, जैसा वे उचित समझें, उनमें प्रत्यायोजन करेंगे एवं अन्यथा किये गए प्रावधानों को छोड़कर, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य एवं ऐसे अन्य व्यक्ति यदि कोई हो, जिन्हें प्रत्येक प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी उचित समझे, समाविष्ट होंगे. समितियों का गठन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन.

कार्यवाहियों का रिक्ति के कारण अविधिमान्य न होना. 59. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय के कामकाज एवं कार्यवाहियों को केवल इस कारण पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि उसमें कोई रिक्ति है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय में किसी सदस्य की नियुक्ति में अनियमितता है अथवा ऐसे किसी कार्य अथवा कार्यवाही में जो प्रकरण की गुणात्मकता को प्रभावित न करती हो, कोई दोष अथवा अनियमितता है अथवा केवल इसी कारण पर कि कार्य परिषद् की सभा प्रति तीन माह में एक बार नहीं हुई.

प्राधिकारियों का लोक सेवक होना. 60. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, अधिष्ठाता एवं संचालक एवं अन्य कर्मचारी जो इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करने का आशय रखते हों, सभी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 20 के अर्थ में सार्वजनिक सेवक माने जाएंगे.

कठिनाईयों का निराकरण. 61. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो राज्य शासन, इस अधिनियम के प्रावधानों से जो असंगत न हो, राजपत्र में ऐसा आदेश प्रकाशित कर कठिनाई दूर कर सकता है :

परन्तु, नियत दिनांक से दो वर्ष के अवसान हो जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

(2) उप-धारा (1) अथवा इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के बाद यथासंभव शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी एवं विधान सभा के जिस सत्र में वह प्रस्तुत की गई हो, उसके सत्रावसान से पूर्व अथवा विधान सभा का उत्तरवर्ती सत्र इस प्रकार की किसी अधिसूचना में यदि कोई सुधार करता है अथवा सदन यदि तय करता है कि कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिये तो संबंधित अधिसूचना की प्रभावशीलता जैसी भी स्थिति हो, तदनुसार उसके बाद सुधार किये गये रूप में रहेगी अथवा वह निष्प्रभावी हो जाएगी, तथापि, इस प्रकार का सुधार अथवा उसका निरस्तीकरण अधिसूचना के अंतर्गत पूर्व में जो कुछ भी किया जा चुका है, उसकी वैधता के प्रति पूर्वाग्रहरहित होगा.

व्यावृत्ति. 62. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर एवं उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 20) (जो इसमें इसके प्रश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) उन महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, लागू होना समाप्त हो जाएगा.

(2) यह समाप्ति निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी—

(क) उक्त अधिनियमिति के पूर्ववर्ती प्रवर्तन को;

(ख) उक्त अधिनियमिति के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(ग) ऐसे शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में, कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार तथा कोई ऐसी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा अथवा लागू किया जा सकेगा तथा कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो.

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्मित एवं नियत दिनांक पर प्रभावशील सभी परिनियम एवं विनियम. जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियमों एवं विनियमों के द्वारा निरसित न कर दिये जाएं

अनुसूची

[धारा-1 (3)]

विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्थान
1.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	अंजोरा, दुर्ग
2.	दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	रायपुर
3.	मात्स्यिकी महाविद्यालय	कबीरधाम

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन, मछलीपालन, मुर्गी पालन एवं दुग्ध महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. छत्तीसगढ़ राज्य में पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से प्रदान की जा रही है.

अब, यह अनुभव किया जा रहा है कि कामधेनु (गोवंश की विभिन्न प्रजातियों) एवं पंचगव्य (गोबर, गोमूत्र, दूध, दही एवं घी) के विज्ञानों में अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा राज्य के कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौलिक रूप से पर्याप्त योगदान दे सकते हैं, अत: कामधेनु एवं पंचगव्य विज्ञानों पर केन्द्रित अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा आवश्यक है.

ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा को बल प्रदान करने की दृष्टि से एक नया पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. यह विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के नाम से दृष्टांत होगा.

अत: विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

दिनांक : 30 अगस्त, 2011

चन्द्रशेखर साहू
कृषि मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 के माध्यम से गठन हेतु पशुधन विकास विभाग, के वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट में, राशि रुपये 1,00,00,000 (शब्दों में एक करोड़ रुपये) का प्रावधान है. इस नवीन विश्वविद्यालय के गठन पर राज्य शासन पर प्रतिवर्ष वित्तीय अनुमानित व्यय राशि रुपये 10,00,00,000 (शब्दों में दस करोड़ रुपये) आवर्ती/अनावर्ती वित्तीय भार आएगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 के खण्ड 7 से 20, 33, 34, 38, 39, 40, 44 में प्रावधानिक शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था है. उक्त के आधार पर कामधेनु विश्वविद्यालय के विधेयक, 2011 प्रारूप में विधि सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग किया गया है; जिसके आधार पर विधि सम्मत आवश्यक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकेगा तथा शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये जा सकेंगे.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2011.